न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 380 / 2022
जीसीएमएस नं. :—2022 / 380

हरीराम उर्फ हरीया पुत्र श्री हाकमराम उर्फ हांसलिया जाति सांसी निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमागनढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. शेरीया पुत्र माला जाति सांसी निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सोरनी पत्नी स्व0 हरभज
3. मांगी
4. शेरीया
5. सोनीया

पि0 हरभज

अकवाम सांसी निवासी चक जहाना (ढबलीबास चुगता) तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.02.2019
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, हनुमानगढ।
प्र. सं. 18 / 2018 अनवान हरीराम उर्फ हरीया बनाम शेरीया आदि

उपस्थितिः—
श्री बलविन्द्र सिह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भाबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 11, 12

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 28.6.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 106/2001 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया। जिसमें कथन किया कि चक 4 पीबीएन की प्रश्नगत 8 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज है। यह वर्णित भूमि हरभज पुत्र मालूराम की थी जिसे दिनांक 08.12.75 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर दी थी। हरभज फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 उसके वारिसान हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी में से 1/2 भाग भू प्रबन्ध विभाग से अपने नाम दर्ज होने के बाद जरिये अपंजीकृत दिनांक 08.12.80 को विक्रय कर दी और कब्जा संभला दिया। भूमि विक्रय किये जाने के कारण हरभज के वारिसान का इस भूमि पर कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः इस भूमि का उन्हें खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिवादीगण के उपस्थित आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2003 पारित की। जिसका राजस्व रिकार्ड में इंतकाल संख्या 82 व 87 दिनांक 16.09.2003 स्वीकृत हुआ। प्रतिवादी /प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया जो दिनांक 11.03.2016 को खारिज किया। जिसकी अपील संख्या 315/2016 प्रस्तुत हुई जो जिसमें आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रत्यर्थी सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें स्वीकृत हुए इन्तकालों से रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करवाये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया जो दिनांक स्वीकार किया गया जिसकी अपील संख्या 114/2018 पेश हुआ जिसमें चुनौतीधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 04.04.2018 स्थगन आदेश दिनांक 19.04.2018 स्थगित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार होने पर वाद संख्या 18/2018 का विचारण पुनः प्रारम्भ हुआ। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो चचेरे भाई हैं के मध्य राजीनामा हो गया। प्रत्यर्थी सं0 1 ने लिखित दिनांक 08.12.1980 को पारिवारिक बंटवारा लिखित होना मानकर इसके आधार पर अपने हिस्सा की 4 बीघा भूमि को वादी को देना स्वीकार किया गया। इस विषयक एक राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जिसमें प्रत्यर्थी सं0 1 ने अपने हिस्सा की 4 बीघा भूमि पर वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी का हक होना तस्लीम किया व स्वीकार किया कि वादी के पिता ने 6 बीघा भूमि जो जरिये वसीयत 16.05.1995 उसे दी गई थी उसके बदले वह चक 4 पीबीएन की 4 बीघा भूमि पर वादी का हक होना स्वीकार करता है। इस राजीनामा के आधार पर वादी एवं प्रत्यर्थी सं0 1 के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रह गया था समस्त 8 बीघा भूमि का इन्तकाल वादी के नाम दर्ज था इसलिए पंचायत के कहने पर उक्त वाद संख्या 18/2018 अपील संख्या 114/2018 एवं एक सिविल वाद जो कि वादी ने प्रतिवादी सं0 1 शेरिया के पक्ष में पिता हांसलिया के द्वारा वसीयत 16.05.1995 की जानी बताई गई थी को चुनौती देने के लिए न्यायालय सिविल वाद 27/2016 प्रसतुत किये गये थे सभी को विदड्रा कर लिया गया। इस राजीनामा के तथ्य को छुपाते हुए प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पुनः अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 18/2016 में पारित डिक्री दिनांक 21.02.2019 के अनुसरण मे वादी के नाम दर्ज दोनों इन्तकालों से पूर्व की स्थिति बहाल करने की इस्तदुआ की है व प्रत्यर्थी सं0 1 ने इस आशय का एकतरफा आदेश अधीनस्थ न्यायालय से तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि के न्यायिक दृष्टान्तों के विपरीत है। प्रश्नगत 8 बीघा भूमि वाके चक 4 पीबीएन में जो प्रत्यर्थी सं0 1 का आधा हिस्सा की अर्थात 4 बीघा भूमि थी, उसे काश्त की सहूलियत से घरेलू बंटवारा में वादी/अपीलार्थी को दे दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस घरेलू बंटवारा के ताबे दिनांक 08.12.80 को अपने हिस्सा की 4 बीघा भूमि वाके चक 4 पीबीएन वादी को दे दी। चक 3 पीबीएन की 6 बीघा भूमि वादी के पिता श्री हासनिया उर्फ हुसनिया के नाम थी जिसने उक्त वर्णित पारिवारिक बंटवारा की यह से प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं0 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.05.1995 को दे दी। अपीलार्थी के पिता के फौत होने जाने पर उक्त वसीयत के अनुसरण में 6 बीघा भूमि का इंतकाल प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। बाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 बदनीयत हो गया व चक 4 पीबीएन की 4 बीघा भूमि जो कि घरेलू बंटवारा में वादी/अपीलार्थी को मिली थी व उसी का ही निरपेक्ष धारण था पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लगा तब वादी को उसके विरूद्ध सर्वप्रथम वाद कारण प्राप्त हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

व वादी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद 106/2001 प्रस्तुत करना पडा. जो दिनांक 09.06.2003 को डिक्री हुआ। इस वाद को पुनः वाजिब नम्बर पर लाने के लिए अर्सा वाद प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं0 1 ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अनतर्गत प्रार्थना–पत्र प्रसतुत किया जो अपील न्यायालय से मंजूर होकर वाद पुनः वाजिब नंबर 18/2018 पर रेस्टोर हुआ जो कि बाद में राजीनामा के आधार पर दिनांक 21.02.2019 के वादी अपीलार्थी के नोटप्रेस किया। इस प्रकार जाहिर है कि प्रत्यर्थी सं0 1 ने वादी के साथ कपट कर उससे वाद को प्रत्याहारित करवाया जो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की उत्प्रेरणा से प्रभावित होकर किया है। यह कृत्य वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के झूठे विश्वास से प्रभावित होकर किया अन्यथा वादी कभी भी उक्त वाद को नोटप्रेस नहीं करता। अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा अब दो दिवस पूर्व राजीनामा के विपरीत आचरण करने पर अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने की जो कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है इसकी जानकारी होने पर अपील को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवकत ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2020 (3) पेज 370, सीसीसी 2015 (3) पेज 362 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 न अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.01.2022 को धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए दिनांक 09.06.2003 को पारित डिक्री के आधार पर दर्ज इंतकाल सं0 196/16.09.2003 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए निवेदन किया था। क्यों कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद सं0 18/2018 को को दिनांक 21.02.2019 को अपने वाद को खारिज करवा लिया था। इसलिए दिनांक 09.06.02003 से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी आवश्यक है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए मियाद बाहर यह अपील पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद सं0 106/2001 प्रस्तुत किया जो दिनांक 09.06.2003 को डिक्री किया गया। इस वाद को पुनः वाजिब नम्बर पर लाने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो मंजूर होकर अपील न्यायालय से मंजूर होकर वाद पुनः वाजिब नम्बर 18/2018 पर रेस्टोर हुआ जो कि बाद में राजीनामा के आधार पर दिनांक 21.02.2019 के वादी अपीलार्थी के नोट प्रेस किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.02.2019 में यह अंकन है कि अप्रार्थी हरीराम व प्रार्थी की ओर से राजीनामा के साथ प्रा0 पत्र पेश हुआ पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 22.02.2019 को रखी गई एवं दिनांक 21.02.2019 को खारिज की गई है जबकि प्रकरण में दिनांक 20.02.2019 को राजीनामा हो चुका था। प्रकरण का निस्तारण राजीनामा अनुसार ही किया जाना उचित था। इसके अतिरिक्त माननीय सिविल न्यायालय हनुमानगढ के वाद सं0 37/16 अनवान हरीराम बनाम शेराराम में में भी माननीय न्यायालय में दिनांक 13.02.2019 में भी उभयपक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया एवं राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के आलौक में एवं जबकि प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में भी उभयपक्ष ने दिनांक 20.02.2019 को राजीनामा पेश किया गया था। प्रकरण का राजीनामा के अनुसार ही निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2019 अपास्त किया जाता है एवं राजीनामा दिनांक 20.02.2019 के अनुसार वादी वादी डिक्री किया जाता है। वादी हरीराम उर्फ हरीया को प्रश्नगत आराजी चक 4 पीबीएन खाता सं0 82/78 प. नं. 56/292 (13) किला नं. 5, 6 की 2 बीघा व इसी चक की खाता सं0

Logio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

87 / 83 प. नं. 57 / 291 किला नं. 21, 22 दो बीघा, प. नं. 57 / 292 किला नं. 1, 2, 9, 10 की 4 बीघा कुल दोनों खातों की 8.00 बीघा कृषि भूमि का वादी हरीराम उर्फ हरीया पुत्र हाकमराम उर्फ हांसलिया जाति सांसी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और उक्त खातों से स्व0 हरभजन व उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जावे। इंतकाल सं0 196 दिनांक 16.9.2003 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner